

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठारसीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 290/2017

दायर दिनांक 13.10.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. बलुकर पत्नी पद्मसिंह, उम्र-30साल, जाति-राजपूत, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. हरदयालसिंह पुत्र कालूसिंह, उम्र-60साल, जाति-राजपूत, निवासी-सांवलोदा लाडखानी, तहसील-लक्ष्मणगढ, जिला-नागौर, राजस्थान, 2. भँवरलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र-40साल, 3. कैलाशचन्द पुत्र मांगीलाल, उम्र-38साल, 4. धनराज पुत्र मांगीलाल, उम्र-36साल, 5. गिरधारीलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र-34साल, 6. पप्पूलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र-32साल, 7. पवनकुमार पुत्र मांगीलाल, उम्र-30साल, 8. जेटीदेवी पत्नी मांगीलाल, उम्र-60साल, 9. वन्नाराम पुत्र डालूराम, उम्र-63साल, समस्त,जाति-जाँगिड़, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वनाम् 10. हावुराम पुत्र श्रीराम, जाति-भाम्बी, निवासी-लुटियासनी, तहसील-मेड़ता सिटी, जिला-नागौर, राजस्थान, 11. बजरंगलाल पुत्र भीयाराम, उम्र-58साल, 12. छोटुराम पुत्र जीवणराम, उम्र-52साल, 13. रामुराम पुत्र कुन्नाराम, उम्र-65साल, समस्त,जाति-बलाई, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 14. रामेश्वर पुत्र जसवंतसिंह, उम्र-35साल, जाति-राजपूत, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. गोपाल पुत्र मनभर, उम्र-76साल, जाति-खटीक, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 16. थार ग्रामीण बैंक, खुनखुना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 17. आई.सी.आई.सी. बैंक डीडवाना,

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

		तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	---

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :-

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री हाकमखॉं, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 14 की ओर से।

--: निर्णय ::--

दिनांक 09.11.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाशत का खेत खसरा नम्बर 233 रकबा 0.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा व खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा कुल रकबा 46.12 बीघा वाकै शरहद खरेश हल्का पटवारी खुनखुना में स्थित है। नकल खतौनी पेश है। उपर्युक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी पेश है।

उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य दर्ज है मगर उक्त भूमि का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच हो गया है इसी अनुसार पक्षकारान् अपने बन्ट में आयी भूमि पर काबिज काशत है। उक्त बन्टवारा निम्न प्रकार है:-

1. वादी बलुकँवर के बन्ट में आयी भूमि-  
खसरा नम्बर 233 रकबा 0.07 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में आयी हुई है।
2. प्रतिवादी संख्या 01 हरदयालसिंह के बन्ट में आयी भूमि-  
खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में आयी हुई है।
3. प्रतिवादी संख्या 14 रामेश्वरसिंह के बन्ट में आयी भूमि-  
खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में आयी हुई है।
4. प्रतिवादी संख्या 15 गोपाल के बन्ट में आयी भूमि-  
खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में आयी हुई है।
5. प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के बन्ट में आयी भूमि-  
खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से संयुक्त रूप से रकबा 23.01 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में आयी हुई है।  
वादी अपने बन्ट व कब्जा की भूमि में कदीम से काशत करते आ रहे हैं। दिनांक 06.10.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियाँ धमकी दी कि उक्त

  
सहायक फलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

खसरा की भूमि को प्रतिवादीगण किसी भू-माफिया को बैचाण कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अगर वादी के बन्ट व कब्जे की भूमि को बिना बन्टवारा कराए ही बैच देंगे तो वादी को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 के यहाँ से उक्त भूमि रहन रखी होने से व प्रतिवादी संख्या 18 तहसीलदार लैण्ड होल्डर होने से कारण आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में पक्षकार बनाये गये हैं। यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबात् नहीं है, आपसी बन्टवारे का होने से दो माह की अवधि का नोटिस नहीं दिया गया है।

बिनाय दावा दिनांक 06.10.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने व दिनांक 06.10.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने से पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि-

शरहद खरेश में निम्न खसरान् की भूमि की निम्नानुसार/बन्ट में आयी अनुसार खातेदारी घोषित की जावे:-

1. वादी बलुकँवर के बन्ट में आयी भूमि-

खसरा नम्बर 233 रकबा 0.07 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में रखी जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 01 हरदयालसिंह के बन्ट में आयी भूमि-

खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में रखी जावे।

3. प्रतिवादी संख्या 14 रामेश्वरसिंह के बन्ट में आयी भूमि-

खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में रखी जावे।

4. प्रतिवादी संख्या 15 गोपाल के बन्ट में आयी भूमि-

खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में रखी जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के बन्ट में आयी भूमि-

खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से संयुक्त रूप से रकबा 23.01 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्ट में रखी जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 13, 15, 17, 18 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 14 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से जवाब पेश हुआ।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ-पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" जमाबन्दी ग्राम खरेश सम्वत् 2070-2073 खेवट संख्या 349/312 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेष ग्राम खरेश खसरा 233 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम खरेश सम्वत् 2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

सहायक कलेक्टर  
डोडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-290/2017  
 दायर दिनांक 13.10.2017, निर्णय दिनांक 09.11.2017  
 बलुकँवर बनाम हरदयालसिंह, वगैरा।

बहस सुनी गई। रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी दावा अनुसार दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिक्ॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

अधिवक्ता वादी, वाद के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है। प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अपना इकबालिया जवाब भी पेश किया है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

अतः वाद वादी, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

### आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद ~~खसरा~~ में निम्न खसरान् की भूमि का बन्तवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:-

1. खसरा नम्बर 233 रकबा 0.07 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि का वादी बलुकँवर को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 हरदयालसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 रामेश्वरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 15 गोपाल को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से संयुक्त रूप से रकबा 23.01 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 13 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिक्ॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)  
 सहायक कलक्टर  
 डी.डी.ओ. (नियंत्रण)  
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)  
 सहायक कलक्टर  
 डी.डी.ओ. (नियंत्रण)  
 डीडवाना

डिगरी व मुकदमों इत्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 290/2017

दायर दिनांक 13.10.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. बलुकंवर पत्नी पदमसिंह, उम्र-30साल, जाति-राजपूत, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. हरदयालसिंह पुत्र कालूसिंह, उम्र-60साल, जाति-राजपूत, निवासी-सांवल्लोदा लाडखानी, तहसील-लक्ष्मणगढ, जिला-नागौर, राजस्थान, 2. भेंवरलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र-40साल, 3. कैलाशचन्द पुत्र मांगीलाल, उम्र-38साल, 4. धनराज पुत्र मांगीलाल, उम्र-36साल, 5. गिरधारीलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र-34साल, 6. पप्पूलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र-32साल, 7. पवनकुमार पुत्र मांगीलाल, उम्र-30साल, 8. जेठीदेवी पत्नी मांगीलाल, उम्र-60साल, 9. बन्नाराम पुत्र डालूराम, उम्र-63साल, समस्त,जाति-जांगिड़, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 10. हावुराम पुत्र श्रीराम, जाति-भाम्बी, निवासी-लुटियासनी, तहसील-मेड़ता सिटी, जिला-नागौर, राजस्थान, 11. बजरंगलाल पुत्र भीयाराम, उम्र-58साल, 12. छोटुराम पुत्र जीवणराम, उम्र-52साल, 13. रामुराम पुत्र कुन्नाराम, उम्र-65साल, समस्त,जाति-बलाई, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 14. रामेश्वर पुत्र जसवंतसिंह, उम्र-35साल, जाति-राजपूत, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. गोपाल पुत्र मनभर, उम्र-76साल, जाति-खटीक, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 16. थार ग्रामीण बैंक, खुनखुना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 17. आई.सी.आई.सी. बैंक डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
बनाम्	

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 09.11.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी व श्री हाकमखाँ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 14 ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद एक्सेर में निम्न खसरान की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:-

1. खसरा नम्बर 233 रकबा 0.07 बीघा सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि का वादी बलुकंवर को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 हरदयालसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 रामेश्वरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से रकबा 05.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 15 गोपाल को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. खसरा नम्बर 234 रकबा 46.05 बीघा में से संयुक्त रूप से रकबा 23.01 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 13 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमों के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

2-4  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (डीडवाना)